अध्याय 4

बाल देखभाल संस्थान की कार्यप्रणाली

सीसीआई बिना पंजीकरण के काम कर रहे थे, डीएससीपीएस द्वारा सीसीआई के पंजीकरण और नवीनीकरण एवं अपंजीकृत सीसीआई के प्रति कार्रवाई करने में भी अनुचित विलम्ब हुआ, जिससे उन्हें आवश्यक सुविधाओं के बिना कार्य करने की इज़ाजत दी गई। सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में कर्मचारियों की 76 प्रतिशत तक की भारी कमी थी जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता से गंभीर रूप से समझौता हुआ। सीसीआई अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, अपर्याप्त पोषण, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं एवं बच्चों को पर्याप्त औपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण कमी से भी ग्रस्त थी क्योंकि केवल 54 *प्रतिशत* औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसी तरह की कमियां आफ्टर केयर होम्स में भी देखी गईं, जहां उन बच्चों की दो और वर्षों के लिए देखभाल की जाती है, जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सीसीआई छोड़ना पड़ता है ताकि समाज में उनका पुनः एकीकरण हो सके।

4.1 सीसीआई का पंजीकरण

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 में प्रावधान है कि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के आवास के लिए राज्य सरकार या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी संस्थान अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जाए इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगे। इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत वैध पंजीकरण वाले संस्थानों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा।

धारा 42 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, या देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को रखने वाली संस्था का प्रभारी व्यक्ति, जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है उसे एक वर्ष तक के कारावास या कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

डीएससीपीएस यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार था कि ऐसे सभी संस्थान किशोर न्याय (किशोर न्याय) अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के

अनुसार पंजीकृत थे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि इन संस्थानों के पास उन्हें सौंपे गए बच्चों की वांछित मानकों पर देखभाल के लिए बुनियादी ढांचा, स्टाफ और अन्य संसाधन हों।

मार्च 2021 तक, 77 सीसीआई थे, जिनमें से केवल 68 सीसीआई के पास वैध पंजीकरण था। चयनित सीसीआई के अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

4.1.1 सीसीआई द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विलम्ब के प्रति कार्रवाई करने में विफलता

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 21(8 और 9) के अनुसार, सभी संस्थान पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन महीने पहले पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग करने के लिए बाध्य होंगे और पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग करने में विफल रहने की स्थिति में, ऐसी संस्थान एक पंजीकृत संस्था नहीं रहेगी और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित की जाएगी या उसमें रखे गए बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड या सीडब्ल्यूसी के आदेश से किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किए गए 16 में से 14 सीसीआई ने 18-120 दिनों की विलम्ब के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी द्वारा किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इन गैर सरकारी संगठनों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4.1.2 डीडब्ल्यूसीडी द्वारा सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 21(10) में प्रावधान है कि किसी संस्था के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा। पूर्वोक्त नियम 21(4) में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार, जहां पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्थान में जिनमें पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं है, वहां अनंतिम पंजीकरण नहीं दे सकती है और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले एक आदेश जारी करेगी कि संस्थान अनंतिम पंजीकरण के लिए भी हकदार नहीं है। लेखापरीक्षा ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सीसीआई के पंजीकरण आवेदनों की नमूना जांच की, जिसमें पता चला कि पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदनों को डीडब्ल्यूसीडी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की निर्धारित अवधि के प्रति 121 से 840 दिनों की विलम्ब के बाद निपटाया गया था।

विलम्ब कई कारणों से हुआ, जिनमें प्रशासनिक कारण जैसे अपूर्ण प्रस्ताव, अपूर्ण निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति की सिफारिशों की अनुपलब्धता और पंजीकरण की शक्ति के प्रत्यायोजन के बारे में स्पष्टता की कमी आदि शामिल थे।

वैध पंजीकरण न होने के बावजूद, ये सीसीआई काम कर रहे थे और सरकार इन सीसीआई में ज़रूरतमंद बच्चों को भेज भी रही थी।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि पंजीकरण के संबंध में स्पष्टता नहीं थी क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 में प्रावधान है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं जबकि धारा 106 में प्रावधान है कि सीसीआई के पंजीकरण के मामले को एससीपीएस द्वारा देखा जाएगा। रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम में संशोधन और सक्षम अधिकारियों की अधिसूचना के बाद, सीसीआई के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए अब सभी प्रस्तावों को माननीय उपराज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा जा रहा है। तथ्य यह है कि पंजीकरण/नवीकरण नहीं किया गया था।

सीसीआई के पंजीकरण में विलम्ब और अपंजीकृत सीसीआई के कामकाज में विलम्ब के विशिष्ट मामले नीचे दिए गए हैं:

एक एनजीओ ने अपने पंजीकरण की समाप्ति के चार साल से अधिक समय के बाद, 18 जून 2019 को नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया। निरीक्षण के बाद (अक्टूबर 2019), सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू ने अस्वच्छता की स्थिति के कारण आवेदन को अस्वीकार करने की अनुशंसा की। हालांकि, डीएससीपीएस ने अभी तक अस्वीकृति का आदेश जारी नहीं किया था (अगस्त 2021 तक)। इसमें यह जोखिम शामिल है कि अस्वच्छ आवास होने के बावजूद गैर-सरकारी संगठन सीसीआई चला रहा है।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों का स्थानन रोक दिया गया था और 2016 से इस स्थान पर कोई बच्चा नहीं रखा गया था या निवास नहीं कर रहा था। हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी ने पंजीकरण/नवीकरण के आवेदन को दो साल बाद भी अस्वीकार नहीं किया।

डीसीपीयू-III (दक्षिण) ने एक अपंजीकृत सीसीआई[7] की पहचान की (नवंबर 2015), जिसमें 18 बच्चे रह रहे थे। सीसीआई को निर्देश दिया गया था (मई 2016) कि इन बच्चों को संबंधित सीडब्ल्यूसी को पेश किया जाए। हालांकि, केवल छः बच्चों को ही सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाया गया था, और उन्हें अगले

[7] लड़कों के लिए प्रयास चिल्ड्रेन होम, महरौली

आदेश तक सीसीआई में रहने की अनुमति दी गई थी। अंत में, डीएससीपीएस ने मई 2019 में सीसीआई के पंजीकरण आवेदन को खारिज कर दिया (मई 2019), यानी सीसीआई की पहचान के तीन साल से अधिक समय के बाद। इसके अलावा डीएससीपीएस द्वारा विलंबित निर्णय के कारण बच्चे ऐसी सीसीआई में जो पंजीकरण के लिए अपात्र था, बने रहे।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीसीआई में बच्चों का स्थानन रोक दिया गया था परन्तु संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया और एक याचिका दायर की जो अभी भी निर्णय के लिए लंबित है। हालांकि, तथ्य यह है कि डीडब्ल्यूसीडी ने सीसीआई की पहचान करने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद ही पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार किया।

इस प्रकार डीडब्ल्यूसीडी ने पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार करने में समय पर कार्रवाई नहीं की**,** जिसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर निपटाया जाना था। इससे अपात्र गैर सरकारी संगठनों ने उपयुक्त शर्तों के अभाव के बावजूद काम जारी रखा।

अनुशंसा सं. 6: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।

4.1.3 सरकार द्वारा संचालित सीसीआई के पंजीकरण की अधिसूचना में डीएससीपीएस द्वारा विलम्ब

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार, डीएससीपीएस को जनवरी 2016 से छः महीने की अवधि के भीतर सरकारी सीसीआई का पंजीकरण/नवीनीकरण करना था, परन्तु डीएससीपीएस ने 13 अक्टूबर 2020 को, यानी 51 महीने की विलम्ब के बाद 26 सरकारी सीसीआई के पंजीकरण की अधिसूचना जारी की थी।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के प्रावधान में कहा गया है कि 2015 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत वैध पंजीकरण वाले संस्थानों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत माना जाएगा और सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई के पास किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के शुरू होने के समय वैध पंजीकरण था। हालांकि, जवाब सीसीआई के पंजीकरण के नवीनीकरण में हुई विलम्ब के बारे में मौन है जो कि किशोर न्याय एक्ट, 2015 लागू होने के छः महीने के भीतर किया जाना था।

सीसीआई के पंजीकरण/नवीनीकरण में विलम्ब और पर्याप्त सुविधाएं/आतिथ्य सत्कार की स्थिति न रखने वाले सीसीआई के प्रति कार्रवाई करने में देरी, ज़रूरतमंद बच्चों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के प्रति डीएससीपीएस की असंवेदनशीलता को दर्शाता है क्योंकि इसने ऐसे संस्थानों को अनावश्यक आवश्यकता के कार्य की अनुमति दी और बच्चों को अनुपयुक्त परिस्थितियों मे छोड़ दिया।

4.2 सीसीआई - बाल गृह और ओपन शेल्टर की कार्यप्रणाली

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 बाल गृहों और ओपन शेल्टर में रहने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। संयुक्त भौतिक सत्यापन और अभिलेखों की जांच के आधार पर नमूना-जांच किए गए 11 सीसीआई से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.2.1 सीसीआई में स्टाफ की कमी

सीसीआई का अधीक्षक अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह (i) सभी संस्थागत गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और समन्वय (ii) सुनिश्चित करना कि बच्चों को निर्धारित गुणवत्ता और मात्रा में भोजन तथा बच्चों की योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने आदि के लिए ज़िम्मेदार है। लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन[8] सरकारी सीसीआई के अधीक्षकों के पास दो से चार अन्य सीसीआई का अतिरिक्त प्रभार था। एक ही व्यक्ति को कई सीसीआई चलाने की ज़िम्मेदारी देना इन सीसीआई के सुचारू और उचित कामकाज के लिए अच्छा नहीं है।

सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 11 बाल गृहों और ओपन शेल्टर में से 10[9] में कर्मचारियों की कमी की स्थिति **परिशिष्ट VI** में दी गई है।

डेटा से पता चला कि सरकार द्वारा संचालित तीन सीसीआई अर्थात् सीएचजी-I, निर्मल छाया (14/25), सीएचजी-II, निर्मल छाया (10/25) और वीसीएच-I, लाजपत नगर (06/25) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तीन सीसीआई अर्थात् अपना घर, पहाड़गंज (13/25), एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग (16/25) और आसरा एसबीटी, नजफगढ़ (15/25), स्वीकृत संख्या की तुलना में, पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के साथ संचालित हो रहा था।

---

[8] सीएचजी- I, II, III और IV और फोस्टर केयर एडॉप्शन एजेंसी, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, हरि नगर; सीएचबी-I और II एवं आफ्टर केयर होम, अलीपुर; और वीसीएच- I, II और III, लाजपत नगर

[9] सीएचजी-IV, निर्मल छाया ने स्टाफ की स्थिति नहीं बताई

सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में 76 प्रतिशत तक कर्मचारियों की भारी कमी, ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत करती है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 26(1) में प्रावधान है कि सीसीआई के कर्मियों की संख्या, ड्यूटी, पदों, कार्य के घंटे बच्चों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। 100 बच्चों की क्षमता वाले संस्थान के लिए स्टाफिंग पैटर्न का सुझाव सांकेतिक है। सीसीआई में तैनात कर्मचारी बच्चों की श्रेणी और सीसीआई की क्षमता के लिहाज से पर्याप्त हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर्मचारी किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और आईसीपीएस दिशानिर्देशों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैनात नहीं हैं।

4.2.2 अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 29 भौतिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सीसीआई द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। 50 बच्चों वाले प्रत्येक संस्थान में भवन या आवास के लिए सुझाए गए मानदंड निम्नानुसार हैं:

(I) 25 बच्चों के लिए 2 छात्रावास-प्रत्येक 1000 वर्ग फुट (II) 25 बच्चों के लिए 2 क्लास रूम-300 वर्ग फुट (III) 10 बच्चों के लिए रोगी का कमरा/प्राथमिक चिकित्सा कक्ष-75 वर्ग फुट (IV) रसोई घर 250 वर्ग फीट (V) भोजन कक्ष-800 वर्ग फुट (VI) स्टोर -250 वर्ग फुट (VII) मनोरंजन कक्ष-300 वर्ग फुट (VIII) पुस्तकालय-500 वर्ग फुट (IX) 5 बाथरूम- प्रत्येक 25 वर्ग फुट (X) 8 शौचालय-25 वर्ग फुट (XI) परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष-120 वर्ग फुट (XII) कार्यशाला 15 बच्चों के लिए -1125 वर्ग फुट (XIII) खेल का मैदान-कुल संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र।

बुनियादी ढांचे के संबंध में सीसीआई (सरकार और एनजीओ दोनों द्वारा संचालित) की स्थिति **तालिका 4.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.1: सीसीआई में अवसंरचना की उपलब्धता

सीसीआई का नाम	सरकार द्वारा संचालित सीसीआई						गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई				
	सीएचबी-I, (फुलवारी) अलीपुर (एसएस- 200 बच्चे)	सीएचबी-II (आशियाना) अलीपुर (एसएस- 100 बच्चे)	सीएचजी-I, निर्मल छाया (एसएस- 100 बच्चे)	सीएचजी-II, निर्मल छाया (एसएस- 100 बच्चे)	सीएचजी-IV, निर्मल छाया (एसएस- 20 बच्चे)	वीसीएच-I, लाजपत नगर (एसएस - 70 बच्चे)	प्रयास एनजीओ, जहांगीर पुरी (एसएस- 100 बच्चे)	डीएमआरसी, एसबीटी तीसहजारी (एसएस- 1 20 बच्चे)	अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज (एसएस- 25 बच्चे)	एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग (एसएस- 25 बच्चे)	आसरा, एसबीटी नजफगढ़ (एसएस- 50 बच्चे)
छात्रावास	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	कम	पर्याप्त	कम	कम
क्लास रूम	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	उपलब्ध नहीं है	कम	कम	कम	कम	कम
कार्यशाला	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	कम	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	कम
प्रसाधन	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	पर्याप्त	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम
स्नानघर	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम
पुस्तकालय	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	कम	कम
खेल का मैदान	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
रोगी का कमरा	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	कम
भोजन कक्ष	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	कम
रसोईघर	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	उपलब्ध नहीं है	कम	कम
स्टोर	कम	कम	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम
मनोरंजन	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	पर्याप्त	उपलब्ध नहीं है	कम	पर्याप्त
परामर्श कक्ष	कम	कम	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	कम	कम	कम	कम	कम	कम

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई में बुनियादी सुविधाएं जैसे छात्रावास, क्लास रूम, कार्यशाला, पुस्तकालय, रोगी का कमरा, भोजन कक्ष और स्टोर अपेक्षित विनिर्देशों या संख्या को पूरा नहीं कर रहे थे। सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में कई ढांचागत कमियां पाई गईं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- **छात्रावास, भोजन कक्ष और स्टोर:** नमूना जांच किए गए सभी छ: सीसीआई में छात्रावास, भोजन कक्ष और स्टोर थे लेकिन चार सीसीआई अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे।
- **कार्यशाला, पुस्तकालय और रोगी का कमरा:** पांच सीसीआई ने अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं किया।
- **क्लास रूम, परामर्श कक्ष और प्रसाधन:** तीन सीसीआई अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अपर्याप्तता के अलावा, लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कुछ सीसीआई में उपलब्ध सुविधाओं की खराब स्थिति देखी। निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट अवसंरचनात्मक कमियों की गंभीरता, लंबी अवधि तक उचित रखरखाव की कमी और इन सीसीआई को रहने योग्य बनाने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की ओर से उपेक्षा का संकेत मिला।

उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- सीएचबी-I में, लेखापरीक्षा ने छत में दरारें, दीवारों में रिसाव, टूटे और गंदे शौचालय, पर्याप्त सुरक्षित पेयजल की कमी और पुराने एवं नष्ट की गई वस्तुओं को छात्रावास में एकत्रित देखा।

चित्र 1: छात्रावास, सीएचबी-I में गिरता हुआ छत का प्लास्टर

चित्र 2: सीएचबी-I के शौचालयों में टूटा हुआ कमोड

- डीएमआरसी चिल्ड्रन होम, तीस हजारी में शौचालय अस्वच्छ स्थिति में पाए गए क्योंकि सिस्टर्न काम नहीं कर रहा था।

चित्र 3: सीएचबी-I में रसोई की दीवारों पर रिसाव

चित्र 4: डीएमआरसी सीसीआई के शौचालयों में टूटा हुआ सिस्टर्न

- अपना घर ओपन शेल्टर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 बच्चों के लिए केवल पांच बेंच (कुल 10 बच्चों के बैठने की क्षमता के साथ) उपलब्ध थे। परिणामस्वरूप, बच्चे छात्रावास के फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 29 के तहत परिकल्पित सीसीआई में भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है और उप नियम (6) के तहत प्रदान किए गए मानदंड सुझाए गए/संकेतक हैं क्योंकि यह 50 बच्चों की आवास क्षमता के साथ सीसीआई के लिए लागू है। सभी सरकारी सीसीआई के पास पर्याप्त भौतिक अवसंरचना है और उक्त नियम के तहत की गई परिकल्पना की तुलना में अधिक जगह है। आगे यह भी कहा गया कि चूंकि भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए कभी-कभी नवीनीकरण/मरम्मत में काफी अधिक समय लगता है लेकिन बच्चों को परिसर के भीतर वैकल्पिक सुविधाओं में अच्छी तरह से ठहराया जाता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अधिकांश नमूना जांच किए गए सीसीआई अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे। इसके अलावा, ढांचागत कमियों की गंभीरता लंबी अवधि के लिए उचित रखरखाव की कमी को दर्शाती है।

4.2.3 बच्चों को दिया गया अपर्याप्त पोषण

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 33 में सीसीआई द्वारा पोषण और आहार पैमानों से संबंधित मानकों का अनुपालन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। नमूना जांच किए गए 11 में से केवल छः गृहों/आश्रयों ने ही बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पोषण के संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण किया था।

इन छः गृहों/आश्रयों[10] ने या तो आवश्यक वस्तुएँ (चिकन/अंडे, दही/बटर मिल्क, पनीर, अनाज, दाल/राजमा/चना आदि) बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराईं या निर्धारित मात्रा से कम उपलब्ध कराईं।

नमूना जांच किए गए शेष पांच गृहों/आश्रयों में आहार वस्तुओं के अभिलेख/रजिस्टर के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सभी आहार वस्तुओं की निर्धारित मात्रा प्रदान की गई थी या नहीं।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के तहत प्रावधान किए गए मानदंडों का पालन करते हैं। हालांकि, सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और जवाब दिया कि वस्तुओं की मात्रा का निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपभोग किया जाएगा और इसे भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। डीडब्ल्यूसीडी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपभोग की गई आहार वस्तुओं की मात्रा दर्शाती है कि वस्तुएं निर्धारित

[10] सरकार द्वारा संचालित चार सीसीआई अर्थात् सीएचजी-I और सीएचजी-II, निर्मल छाया, सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित दो सीसीआई अर्थात् एसबीटी आसरा, नजफगढ़ और प्रयास सीएचबी, जहांगीर पुरी

मानदंडों के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई गई थीं और लेखापरीक्षित इकाईयों ने भी लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी अपने जवाब में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई पर मौन है।

4.2.4 कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री के लिए अपर्याप्त प्रावधान

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 30 में सीसीआई द्वारा अनुपालन हेतु कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री की आवश्यक वस्तुएँ निर्दिष्ट की गई है। नमूना जांच किए गए 11 गृहों/आश्रयों में से नौ ने लेखापरीक्षा को 2018-21 की अवधि के प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराए।

इन नौ गृहों/आश्रयों में आवश्यक वस्तुएं (जैसे कॉटन दरी, पिलो, पिलो कवर, मच्छरदानी, गद्दा, कॉटन बेडशीट, कॉटन कंबल/खेस, कॉटन भरी रजाई, तौलिये, शर्ट, पैंट, नाइट वियर, शॉर्ट्स, अंडरगारमेंट्स, चप्पल, जूते, रूमाल, मोज़े आदि) या तो बच्चों को उपलब्ध नहीं कराए गए या अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए (विवरण **परिशिष्ट VII** में है)।

चार[11] गृहों/आश्रयों में प्रसाधन सामग्री के प्रावधान के संबंध में, आवश्यक वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, टूथ पेस्ट, कंघी, शैम्पू, हेयर क्लिप, मॉइस्चराइजर आदि या तो प्रदान नहीं किए गए थे या निर्धारित मानकों के प्रति कम मात्रा में उपलब्ध कराए गए थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सीसीआई की निगरानी सीधे डीसीपीयू, ज़िला निरीक्षण समितियों और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही है एवं सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थान निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं और जिन गैर-सरकारी संगठनों ने संसाधन की कमी को चिह्नित किया था उन्हें दिल्ली बाल कल्याण कोष या स्वैच्छिक दान के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति करके आवश्यक सहायता प्रदान की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उपभोग किए गए कपड़े और बिस्तरों की मात्रा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान नहीं किए गए और लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया गया।

4.2.5 बच्चों के लिए अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 34 अन्य बातों के साथ-साथ सीसीआई में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं/सुविधाओं को निर्दिष्ट करता है। इन सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

[11] सीएचजी-I, निर्मल छाया; प्रयास एनजीओ, जहांगीर पुरी; डीएमआरसी, तिशाजरी; अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज; आसरा, एसबीटी नजफगढ़, असरा एसबीटी नजफगढ़

क्र.सं.	आवश्यकता	वास्तविक स्थिति
1.	सभी बाल देखभाल संस्थानों में एक नर्स या एक पैरामेडिक चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे।	नमूना-जांच किए गए 11 गृहों/आश्रयों में से 10 में नर्स केवल 8 घंटे की ड्यूटी के लिए उपलब्ध थी। शेष एक (आसरा चिल्ड्रन होम) में नर्स उपलब्ध नहीं थी।
2.	मासिक चिकित्सा जांच के आधार पर प्रत्येक बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखें और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें।	नमूना-जांच किए गए 11 गृहों/आश्रयों में से दो अर्थात् सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर में मासिक चिकित्सा जांच का अभिलेख नहीं रखा गया।
3.	दांतों की जांच, आंखों की जांच एवं त्वचा की समस्याओं के लिए जांच और बच्चों के इलाज सहित त्रैमासिक चिकित्सा जांच की सुविधाएं।	11 नमूना जांच में से 7 अर्थात् सीएचबी-I और सीएचबी-II, अलीपुर, वीसीएच-I लाजपत नगर में जांच सीएचजी-II, निर्मल छाया, एसबीटी-डीएमआरसी तीसहजारी, प्रयास चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज जहांगीर पुरी और अपना घर ओपन शेल्टर पहाड़गंज में बच्चों के उपचार के लिए दंत चिकित्सा जांच, आंखों की जांच और त्वचा की समस्याओं के लिए स्क्रीनिंग सहित त्रैमासिक चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
4.	बच्चों के टीकाकरण के लिए हर संस्थान को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।	नमूना-जांच किए गए आठ गृहों/आश्रयों में से दो सीसीआई, अर्थात् बालकों के लिए बाल गृह-I, अलीपुर और बालकों के लिए बाल गृह-II, अलीपुर में टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएचबी-I में एक बच्चे के पूरे शरीर पर सफेद धब्बे हो गए थे। बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला कि जुलाई 2019 से गृह में एक अंशकालिक डॉक्टर द्वारा उसकी जांच की गई थी, लेकिन उसे उचित उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास कभी नहीं भेजा गया।

इस प्रकार, सीसीआई किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के तहत अपेक्षित सीमा तक बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई में नियमित आधार पर बच्चों के पास विज़िट करने और देखभाल के लिए डॉक्टर नियुक्त है और संस्थान रेफरल और विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए नजदीकी अस्पतालों के साथ संपर्क कर रहे हैं।

डीडब्ल्यूसीडी ने नर्स या पैरामेडिक, मेडिकल रिकॉर्ड और टीकाकरण के अभाव में विशिष्ट जवाब नहीं दिया और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई पर मौन था। इसके अलावा, जवाब के साथ सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

4.2.6 बच्चों को औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अभाव

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 36 में प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान सभी बच्चों को संस्थान के अंदर या बाहर आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन गृहों/केन्द्रों में केवल 54 प्रतिशत बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई थी। कुल मिलाकर 542 बच्चों में से 18 बच्चों को कोई शिक्षा, औपचारिक या गैर-औपचारिक, प्रदान नहीं की गई, वहीं 219 बच्चों को केवल गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान की गई। 11 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया।

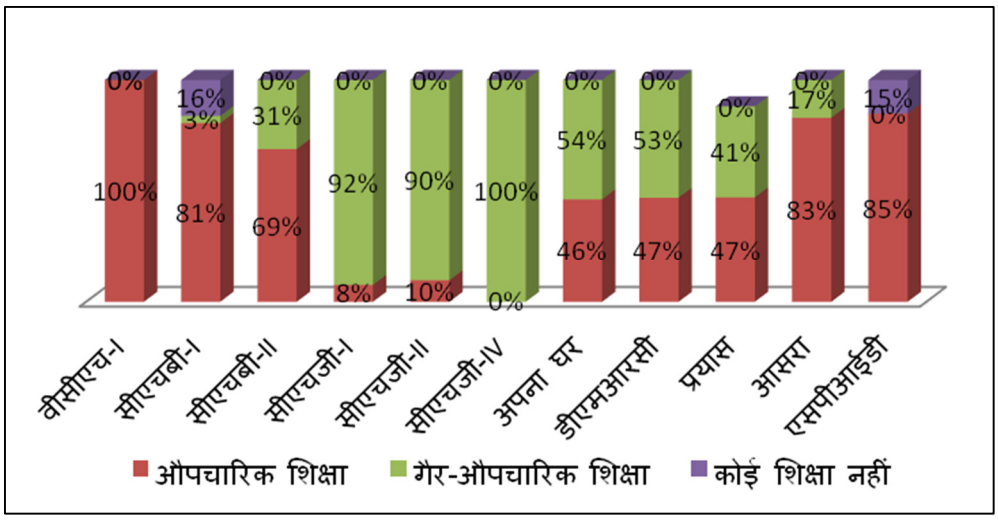

शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में और उन्हें समाज में एकीकृत करने में मदद करती है। बड़ी संख्या में बच्चों की औपचारिक शिक्षा के अभाव में उन्हें दी जा रही देखभाल के स्तर से समझौता करना पड़ा।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि औपचारिक स्कूली शिक्षा तभी संभव हो पाती है जब बच्चे को दीर्घकालिक देखभाल के लिए रखा जाता है, जिसके लिए आस-पास के स्कूलों में प्रवेश की सुविधा होती है। इसके अलावा, डीडब्ल्यूसीडी ने सरकार द्वारा संचालित सभी सीसीआई में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को इन-हाउस क्लास रूम में भाग लेने और स्कूली शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी सीसीआई में शिक्षक/अनुशिक्षक का पद रिक्त था और सरकार द्वारा संचालित सीसीआई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। तथ्य यह रहा कि नमूना जांच किए गए सीसीआई में, औपचारिक शिक्षा में पर्याप्त प्रतिशतता (46 प्रतिशत) नामांकित नहीं थे।

4.2.7 असुरक्षित सुरक्षा तंत्र

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 67 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में पर्याप्त संख्या में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाएँ। इसके अलावा, बच्चों को भागने से रोकने और सीसीआई में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए सभी सीसीआई में सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त तार की बाड़/चारदीवारी का प्रबंध किया जाना चाहिए।

नमूना-जांच किए गए 11 बाल गृहों/ओपन शेल्टर के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि इनमें से किसी भी संस्थान में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर स्थापित नहीं थे।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि संस्थानों में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए उचित हैं और दूसरे सीसीआई में इसकी आवश्यकता नहीं है। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक सीसीआई में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाएं।

इसके अलावा, सीएचबी-II, अलीपुर और प्रयास चिल्ड्रेन फॉर बॉयज, जहांगीर पुरी में चारों ओर से उचित चारदीवारी/ग्रिल का अभाव था। अपना घर ओपन शेल्टर में, सीडब्ल्यूसी ने सीसीटीवी कैमरों की अनुपलब्धता और छत पर अपर्याप्त तार की बाड़ देखी थी (जनवरी 2021)।

बाल गृहों/ओपन शेल्टर से बच्चों के भाग जाने का जोखिम अधिक बना रहता है। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 के दौरान, पांच सीसीआई[12] से 36 बच्चे भाग गए, जिनमें से केवल 13 का पता लग सका और उन्हें वापस लाया गया।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि सभी सीसीआई में बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। हालांकि, डीडब्ल्यूसीडी ने इस संबंध में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और चारदीवारी/ग्रिल की कमी पर मौन रहा जबकि अपना घर ओपन शेल्टर के अधीक्षक ने कहा (जुलाई 2021) कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और बाड़ लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। अधीक्षक (सीएचबी-II, अलीपुर) ने भी कहा (जून 2021) कि जल्द से जल्द चारदीवारी की मरम्मत की जाएगी।

एक बार जब कोई बच्चा सरकार की देखरेख में लाया जाता है, तो वह सरकार की ज़िम्मेदारी बन जाता है। सीसीआई में पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में उनके संरक्षण से

[12] लड़कों के लिए चिल्ड्रेन होम-1, अलीपुर, बीसीएच-1, लाजपत नगर, एसबीटी-डीएमआरसी, तिसहजारी, लड़कों के लिए प्रयास चिल्ड्रेन होम, जहांगीरपुरी, पहाड़गंज, आसरा, एसबीटी नजफगढ़

समझौता किया जा रहा है। इसके अलावा, सीसीआई से बच्चों के भाग जाने का मुद्दा इंगित करता है कि बच्चे इन सीसीआई में रहन-सहन से खुश नहीं थे।

4.2.8 बच्चों की अनाधिकृत अनुपस्थिति

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 69 (के (2)) में अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध है कि बच्चे के बाल देखभाल संस्थान छोड़ने की स्थिति में, इसे पुलिस के संज्ञान में लाया जाए और विस्तृत प्रतिवेदन सीडब्ल्यूसी को गृह के प्रभारी द्वारा भेजी जाए।

चयनित ओपन शेल्टर श्रद्धानंद मार्ग के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 35 बच्चे सीडब्ल्यूसी की अनुमति के बिना नवंबर 2017 से ओपन शेल्टर से अनुपस्थित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि शेल्टर द्वारा सीडब्ल्यूसी-IX, गोल मार्केट को सूचना दी गई थी कि इन बच्चों को उनकी माताएं ले गई थीं लेकिन सीडब्ल्यूसी से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि मार्च-जून 2021 के दौरान चार बच्चे वापस आ गए, 31 बच्चों को जुलाई 2021 तक वापस आना बाकी था।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एसपीआईडी, श्रद्धानंद मार्ग संस्था जीबी रोड पर वेश्यालय में रहने वाली महिलाओं के बच्चों को सुविधा प्रदान करती है। यह एक ओपन शेल्टर है जहां बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार घूम-फिर सकते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के निकल सकते हैं।

डीडब्ल्यूसीडी का तर्क सही नहीं है क्योंकि बच्चों को सीडब्ल्यूसी द्वारा आश्रय में रखा गया था इसलिए, बच्चों को आश्रय से स्वतंत्र करने के लिए सीडब्ल्यूसी से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

4.2.9 बच्चों के ब्यौरों का गलत दस्तावेजीकरण

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 77 में उपबंध है कि बाल गृहों/ओपन शेल्टर को अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए, जिसमें प्रवेश, छुट्टी और पुनर्वास की तारीख, बच्चे की तस्वीर आदि का उल्लेख हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार बाल गृह/ओपन शेल्टर[13] मास्टर रजिस्टरों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ बच्चों के फोटो नहीं लगाए गए थे, प्रवेश और बहाली की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया और पता दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा, मास्टर रजिस्टर में माता-पिता/रिश्तेदारों को बहाल किए गए बच्चों के संबंध में कोई पता दर्ज नहीं किया गया था।

[13] अपना घर ओपन शेल्टर, पहाड़गंज; सीएचजी-I, निर्मल छाया, जेल रोड; लड़कों के लिए बाल गृह-I, अलीपुर और लड़कों के लिए बाल गृह- II, अलीपुर।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने भविष्य के अनुपालन के लिए अवलोकन को स्वीकार किया (दिसंबर 2021)। यद्यपि, यह एक गंभीर चूक है, ज़िम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

4.3 सीसीआई - आफ्टर केयर होम (एसीएच) की कार्यप्रणाली

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 25 में प्रावधान है कि राज्य सरकार उन बच्चों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सीसीआई छोड़ना होगा, उनको शिक्षा प्रदान करें, उन्हे रोजगारपरक कौशल और प्लेसमेंट प्रदान करने के साथ-साथ समाज में पुनर्स्थापन की सुविधा हेतु रहने के लिए स्थान प्रदान करना होगा। सीसीआई छोड़ने वाले किसी भी बच्चे को सीडब्ल्यूसी या किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय के आदेश पर 21 वर्ष की आयु तक और असाधारण परिस्थितियों में, 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर दो और वर्षों के लिए आफ्टर केयर प्रदान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, प्रत्येक 100 शिशुओं को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो एसीएच (लड़कों के लिए एसीएच, अलीपुर और महिलाओं के लिए एसीएच, निर्मल छाया) हैं। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की जांच की और दोनों एसीएच का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और निम्नलिखित अवलोकन किया:

4.3.1 स्टाफ की कमी

एसीएच को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एसीएच, अलीपुर और निर्मल छाया में क्रमशः 11 और 15 अधिकारियों की आवश्यकताओं के प्रति, इनमें से प्रत्येक एसीएच में केवल तीन अधिकारी तैनात थे, और वह भी सीसीआई के अतिरिक्त प्रभार के साथ। एसीएच, अलीपुर में प्रशिक्षक और चौकीदार के लिए स्वीकृत पद थे लेकिन एसीएच, निर्मल छाया में कार्यवाहक, चौकीदार, शिल्प प्रशिक्षक और शिक्षक के पद खाली थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एसीएच में स्टाफिंग पैटर्न के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं। तथ्य यह है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के प्रति एसीएच कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे।

4.3.2 अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना

एसीएच, अलीपुर का भवन, पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षतिग्रस्त और खतरनाक घोषित होने के कारण एसीएच सीएचबी-II, अलीपुर के परिसर में कार्य कर रहा था। परिणामस्वरूप, एसीएच के लिए अलग शयनगृह, शौचालय, स्नानघर, भोजन कक्ष, दफ्तर, पुस्तकालय, रोगी का कमरा आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

एसीएच, निर्मल छाया आवश्यक बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन कक्ष, परामर्श कक्ष, पुस्तकालय, रोगी का कमरा, आदि के साथ अलग से सुसज्जित नहीं था और यह अपर्याप्त स्थान के साथ बाल निकेतन और बालिका गृह के सामान्य परिसर में काम कर रहा है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि एसीएच में भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 25 विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सीसीआई छोड़ने वाले बच्चों के रहने की सुविधा हेतु एसीएच में उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देता है।

4.3.3 अपर्याप्त आहार पोषण

एसीएच, अलीपुर किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 में निर्धारित आहार मानदंडों का पालन कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दूध, चिकन, और मक्खन दूध/दही, सूजी और रागी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कभी प्रदान नहीं किए गए थे और आहार/पोषण की अधिकांश अन्य वस्तुएं जैसे कि दाल, राजमा, दूध, दही, पोहा आदि निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में वितरित किए गए थे। एसीएच, निर्मल छाया पुरानी नियमावली[14] के अनुसार आहार मानदंड प्रदान कर रहे थे। इसके कारण, बच्चों को कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, अंडा, चिकन आदि प्रदान नहीं किया गया या निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आहार सामग्री यानी आटा/चावल, दाल आदि प्राप्त कर रहे थे।

डीडब्ल्यूसीडी ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की।

4.3.4 कपड़ों और बिस्तरों के लिए अपर्याप्त प्रावधान

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसीएच, अलीपुर ने किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के मानदंडों का पालन किया जबकि एसीएच, निर्मल छाया ने पुराने मैनुअल के तहत मानदंडों के अनुसार कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन सामग्री प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कपड़े और बिस्तर के सामान या तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराए गए या निर्धारित स्तरों की तुलना में कम मात्रा में उपलब्ध कराए गए। एसीएच, निर्मल छाया में, बच्चों को आवश्यक सामान अर्थात् गद्दे, तकिया, कपास भरी रजाई, मच्छरदानी, सलवार कमीज और नाइटवियर प्रदान नहीं किए गए थे अथवा मॉडल किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 30 के तहत निर्धारित मानकों से कम मात्रा/पैमाने पर कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन की वस्तुएं

[14] संस्थाओं और सेवा के पदाधिकारियों के लिए मैनुअल, 1989

प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंबल, स्कार्फ/चुन्नी, आधी आस्तीन का स्वेटर जैसी आवश्यक वस्तुएं कभी प्रदान नहीं की गईं और कुछ वस्तुएँ अर्थात् चप्पलें, रूमाल और कैनवास पुराने मैनुअल के अनुसार भी कम मात्रा में जारी किए गए।

डीडब्ल्यूसीडी ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की

4.3.5 एसीएच में बच्चों को आवश्यक खर्चों के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया

किशोर न्याय मॉडल नियम, ***2016*** के नियम ***25(6)*** के अनुसार आफ्टर केयर प्रोग्राम में रखे गए बच्चों को उनके आवश्यक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी बच्चे को धन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

डीडब्ल्यूसीडी ने विशिष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि, यह कहा गया कि उन्होंने अपनी शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए और उनके प्रवास के दौरान रोजगार की सुविधा भी प्रदान की।

इस प्रकार, आफ्टर केयर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में अभाव के कारण बच्चों का संस्थान आधारित जीवन से समाज की मुख्यधारा में पुनःएकीकरण के लिए एक व्यवस्थित और विनियमित बदलाव (सीसीआई से निर्वहन) सुनिश्चित नहीं किया गया। यह डीडब्ल्यूसीडी की ज़िम्मेदारी है कि वह आईसीपीएस दिशानिर्देशों और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के निर्धारित मानदंडों के अनुसार एसीएच में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें।

अनुशंसा सं. 7: सीसीआई में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराएं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे बच्चों की देखभाल के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

अनुशंसा सं. 8: सभी बाल देखभाल संस्थानों में भौतिक बुनियादी ढांचे, कपड़े और बिस्तर, पोषण और आहार तथा शिक्षा के मामले में देखभाल के न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।